न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्री रामस्वरूप कोठारी **बनाम** श्री बद्री कीर वगै0

धारा 111—128 एल0आर0ए

मुकदमा 29/2022

Online No. 2022/45

10.01.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–19 / 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र कल्याणमल कोठारी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1 बद्री कीर पुत्र काना कीर निवासी कीर खेड़ा सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2 भैरू पुत्र नारायण कीर निवासी तेजाजी मंदिर के पास सांगानेर भीलवाड़ा।
3 शंकर कीर पुत्र भूरा कीर निवासी कीर खेड़ा सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4 फत्तू पिनारा पुत्र श्री इस्माईल पिनारा निवासी बलाई मोहल्ला सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5 कैलाश माली पुत्र नन्दा माली निवासी कीर खेड़ा सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6 सुरेश देवपुरा पुत्र रूपलाल देवपुरा निवासी महेश कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा।
7 नारायण माली पिता काना माली निवासी माहेश्वरी पंचायती नोहरे के पास सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8 नाना बाई माली पत्नी प्यारा माली निवासी माहेश्वरी पंचायती नोहरे के पास सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा
9 शंभु कीर पिता भैरू कीर निवासी तेजाजी चौक के पास सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10 रामप्रसाद जाट पुत्र सुखा जाट निवासी रामदेवरी के पास सांगानेर भीलवाड़ा।
11 हरीशंकर जाट पिता रामा जाट निवासी कोठारी मोहल्ला सांगानेर भीलवाड़ा
12 बालु जाट पिता देवीलाल जाट निवासी तेजाजी के पास सांगानेर भीलवाड़ा
13 नारायण जाट पिता गोपाल जाट निवासी टैम्पो स्टेण्ड के पास सांगानेर भीलवाड़ा
14 बद्री जाट पिता नन्दा जाट निवासी टैम्पो स्टेण्ड के पास सांगानेर भीलवाड़ा
15 अशोक आगाल पिता रामदत्त आगाल निवासी बड़े मंदिर के पास सांगानेर भीलवाड़ा
16 रामगोपाल कोठारी पिता कल्याणमल कोठारी निवासी कोठारी मोहल्ला सांगानेर भीलवाडा
17 शंकरलाल सुखवाल पिता लादूराम सुखवाल निवासी गोपाल मंदिर के पास रावला चौक सांगानेर भीलवाड़ा
18 भैरू लाल पिता रामचन्द्र सुखवाल नि0गोपाल मंदिर के पास रावला चौक सांगानेर भीलवाड़ा
19 सत्यनारायण कोठारी पुत्र कल्याणमल कोठारी निवासी कोठारी मोहल्ला सांगानेर भीलवाड़ा
20 मांगीलाल पिता उरजन जाट निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
21 उरजन पुत्र कजोड़ धोबी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा।
22 रामेश्वर पिता रामप्रसाद धोबी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
23 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

<u>निर्णय</u>

दिनांक 10.01.2022

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 की तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1057 रकबा 0.5564 हैक्टयर आराजी संख्या 2860 रकबा 0.9357 हैक्टयर आराजी संख्या 1869/2 रकबा 1.5174 हैक्टयर कुल किता 03 कुल रकबा 3.0095 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2073 ग्राम सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1057 रकबा 0.5564 हैक्टयर आराजी संख्या 2860 रकबा 0.9357 हैक्टयर आराजी संख्या 1869/2 रकबा 1.5174 हैक्टयर कुल किता 03 कुल रकबा 3.0095 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1057 रकबा 0.5564 हैक्टयर आराजी संख्या 2860 रकबा 0.9357 हैक्टयर आराजी संख्या 1869/2 रकबा 1.5174 हैक्टयर कुल किता 03 कुल रकबा 3.0095 हैक्टयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क **600/-** रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक सांगानेर 500/-रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में कमिश्नर प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 सांगानेर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा